कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक) पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

FileNo: NER-HQ0PERS(POLI)/24/2021-O/oSPO/HQ/HQ/NER (**Com. No:** 50037) दिनांक .03.2021

सचिव/महाप्रबन्धक।
सचिव/अपर महाप्रबन्धक।
सभी विभागाध्यक्ष।
मण्डल रेल प्रबन्धक/लखनऊ, इज्जतनगर एवं वाराणसी।
सभी कार्मिक अधिकारी।
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक।
सभी अतिरिक्त मण्डाधिकारी/स्थापना।

विषय:- एवजी कर्मचारियों के जन्मतिथि के सत्यापन के सम्बन्ध में।

....

एक जांच में पाया गया कि वर्ष 1979 में एक कर्मचारी की रेल सेवा में नियुक्ति सिजनल पानी वालें के रूप में हुई थी तथा वर्ष 1991 में अस्थाई स्टेटस प्रदान करने का ज्ञापन जारी किया गया है , जिसमें कर्मचारी की जन्मतिथि 15.01.1955 चिकित्सा फीट प्रमाण पत्र में 15.08.1957 अंकित कर दी गई जबकि कर्मचारी 1979 में हाईस्कूल उत्तीर्ण था जिसमें उसकी जन्मतिथि 15.08.1963 है।

उक्त विरोधाभाषी जन्मतिथियों के कारण सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी के समापक भुगतान में कठिनाई की प्रवल सम्भावना बनती है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों विशेषकर जो एवजी के रूप में रेल सेवा में नियुक्ति किए गए है, की जन्मतिथि सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन शैक्षणिक प्रमाण पत्र से करा लिया जाय ताकि सेवानिवृत्ति के समय समापक भुगतान में कोई अनावश्यक विलम्ब न हों। सत्यापन के दौरान यदि कोई मामला फर्जी पाया जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

25/3/2021

(बसन्त लाल)
वकाधि/आर.पी
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक